न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी **जगदीश प्रसाद गौड़**

मुकदमा नम्बर : 35/2022 **आर.ए.एस**

जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री भीम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मै0 श्री विनायक मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट जसरापुर, खेतड़ी, झुन्झुनू निवासी नया कुआ, नानुवाली बावड़ी, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– **दिनांक : 27.01.2023**

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी मैन मार्केट जसरापुर, खेतड़ी झुन्झुनू में मै0 विनायक जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से दुकान है जहां मिठाईयां बनाकर बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (मैदा, मावा व वनस्पति से निर्मित) का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसकी छोटी सी दुकान है। आगे से वह शुद्धता का ध्यान रखेगा। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./677/एक्ट/2022/725 दिनांक 07.03.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (मैदा, मावा व वनस्पति से निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 विनायक जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर गुलाब जामुन (मैदा, मावा व वनस्पति से निर्मित) तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक हैं। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (मैदा, मावा व वनस्पति से निर्मित) अनसेफ (Unsafe) एवं सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री भीम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मै0 श्री विनायक मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट जसरापुर, खेतड़ी, झुन्झुनू निवासी नया कुआ, नानुवाली बावड़ी, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested